उत्तर प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग
राजस्व अनुभाग–9

संख्या– 327 /1–9–2014–रा–9–५४ १२/२०११
लखनऊ: दिनांक 17 जनवरी, 2014

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और समय समय पर यथा संशोधित ,उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली, 2011 और उत्तर प्रदेश अवर राजस्व लिपिक (रजिस्ट्रार कानूनगो / सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो) सेवा नियमावली,1958 और इस विषय पर किन्हीं अन्य नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा–नियमावली 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1)यह नियमावली "उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली, 2014 कही जाएगी।
(2)यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक)सेवा एक अधीनस्थ सेवा हैं जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाए

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है ;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी जिला के कलेक्टर से है ;

(ग) "परिषद" का तात्पर्य राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश से है ;

(घ) 'भारत का नागरिक'का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(ङ) 'आयोग' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग,उत्तर प्रदेश से है ;

(च) 'आयुक्त" का तात्पर्य किसी डिवीजन के आयुक्त से है ;

(छ) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है ;

(ज) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(झ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ञ) "संस्थान" का तात्पर्य राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई, उत्तर प्रदेश से है;

(ट) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ठ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय–समय पर यथा यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;